



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226356  
CG-DL-E-01042021-226356

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943

No. 119]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

**फा.सं. टी-16017/09/2020-आईगॉट-कर्मयोगी.**—भारत सरकार ने सिविल सेवा क्षमता विकास में परिवर्तनकारी बदलाव के माध्यम से देश के सुशासन में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी)-मिशन कर्मयोगी का अनुमोदन किया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक क्षमता विकास आयोग है। तदनुसार, निम्नलिखित संरचनाओं, कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ क्षमता विकास आयोग (इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित) का एतद्वारा गठन किया जाता है।

## 2. आयोग की संरचना

2.1 आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे।

2.2 अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार होंगी।

## 3. सचिवालय

आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता समय-समय पर यथाअनुमोदित अन्य अपेक्षित कर्मचारियों के साथ एक सचिव (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के ग्रेड में) द्वारा की जाएगी।

#### 4. कार्य और जिम्मेदारियां

आयोग की, अन्य बातों के साथ-साथ, वार्षिक क्षमता विकास योजनाएं तैयार करने में समन्वय करने, योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं में साझा संसाधनों के सृजन को सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे-

- (I) क्षमता में सुधार करने और साझा संसाधनों के निर्माण के लिए एक सामंजस्यपूर्ण व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भारत सरकार के विभागों, संगठनों और एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
- (II) विभागों, मंत्रालयों और सहभागी संगठनों की वार्षिक क्षमता विकास योजनाओं को तैयार करने में सहयोग करना और संकलित योजनाओं को अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद (पीएमएचआरसी) को प्रस्तुत करना। इसके बाद, आयोग कार्यान्वयन की आवधिक प्रगति की निगरानी करेगा और इस संबंध में सरकार को जानकारी देगा।
- (III) लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ सिविल सेवाओं की स्थिति पर वार्षिक मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार करना; और डीओपीटी के अनुमोदन से इसे सार्वजनिक करना।
- (IV) सरकार में उपलब्ध मानव संसाधनों की जांच करना और क्षमता विकास प्रयासों के परिणामों का आकलन करना; और मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय इकाई को अनुमोदन और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए इसका मूल्यांकन प्रस्तुत करना।
- (V) अध्यापन विज्ञान, योग्यता ढांचे, योग्यता अंतराल मूल्यांकन आदि पर अनुसंधान करने के लिए सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय सहित प्रशिक्षण और क्षमता विकास, अध्यापन विज्ञान और कार्यप्रणाली के मानकीकरण के संबंध में सिफारिशें करना।
- (VI) कार्मिकों/मानव संसाधन और क्षमता विकास के क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेपों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सिफारिशें करना।
- (VII) क्षमता विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे अध्ययन सामग्री का निर्माण, सक्षमता मानचित्रण, फीडबैक आदि के संबंध में आईगॉट-कर्मयोगी से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना।
- (VIII) प्रधानमंत्री सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद (पीएमएचआरसी) और मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय इकाई के समग्र मार्गदर्शन में वार्षिक वैश्विक सार्वजनिक मानव संसाधन शिखर सम्मेलन आयोजित करना और शिखर सम्मेलन के परिणाम और परिणामी रिपोर्ट तैयार करना।
- (IX) संसदीय निगरानी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुपालन के उद्देश्य से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी संबंधित जानकारी प्रदान करना।
- (X) वार्षिक क्षमता विकास योजनाओं के अनुपालन और उपलब्धियों और साझा आंतरिक और बाह्य संकाय सहित साझा शिक्षण संसाधनों की पारिस्थितिकी प्रणाली के निर्माण के उद्देश्य से सभी सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में प्रवृत्त संस्थाओं का कार्यात्मक पर्यवेक्षण करना।
- (XI) कार्यक्रम के लिए ज्ञान-भागीदारों का अनुमोदन करना।

5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोग की सहायता की जाएगी।

6. आयोग और उसके सचिवालय से संबंधित व्यय राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) के लिए सृजित किए गए बजटीय शीर्षों के नामे किया जाएगा।

एस. डी. शर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS****(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2021

**F. No. T-16017/09/2020-iGOT.**—Government of India has approved the National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB) - Mission Karmayogi to enhance governance in the country through transformational change in the Civil Service Capacity Building. A key component of the National Programme is the Capacity Building Commission. Accordingly, the Capacity Building Commission (hereinafter referred to as 'The Commission') is hereby constituted with the following compositions, functions and responsibilities.

**2. Composition of the Commission**

2.1 The Commission will comprise of a Chairperson and two Members.

2.2 The terms and conditions of service of Chairperson and Members shall be as notified from time to time.

**3. Secretariat**

The Secretariat of the Commission will be headed by a Secretary (in the grade of Joint Secretary to Government of India) with other requisite staff as approved from time to time.

**4. Functions and Responsibilities**

The Commission will have the responsibility, *inter-alia*, of coordinating the preparation of annual capacity building plans, undertake monitoring and evaluation of plan implementation and facilitate creation of shared resources amongst Training Institutions imparting training to civil servants. The functions of the Commission shall include the following:-

- (i) Coordinate with Departments, Organizations and Agencies of the Government of India for evolving a harmonious de-siloed approach to improve capacity and build shared resources.
- (ii) Facilitate preparation of Annual Capacity Building Plans of Departments, Ministries and participating Organizations and submit the collated Plans for approval to the Prime Minister's Public Human Resource Council (PMHRC). The Commission will thereafter monitor and report the periodical progress of implementation to the Government.
- (iii) Prepare the Annual HR Report on the health of Civil Services along with target achievement; and making it public with the approval of the DoPT.
- (iv) Undertake Audit of Human Resources available in Government and assess outcomes of the Capacity Building efforts; and present an evaluation of the same for approval and necessary guidance to the Cabinet Secretariat Coordination Unit.
- (v) Make recommendations on standardization of training and capacity building, pedagogy and methodology including coordination with Government Training Institutions to carry out research on pedagogy, competency framework, competency gap assessment etc.
- (vi) Make recommendations on policy interventions in areas of personnel/HR and Capacity Building to DoPT.
- (vii) Undertake analysis of data emit from iGOT-Karmayogi pertaining to different aspects of capacity building such as content creation, competency mapping, feedback etc.
- (viii) Holding the Annual Global Public HR Summit under the overall guidance the Prime Minister's Public Human Resource Council (PMHRC) and the Cabinet Secretariat Coordination Unit and preparing the outcome and output report of the Summit.
- (ix) Providing all the relevant information to DoPT for purposes of Parliamentary oversight and Comptroller and Auditor General compliance.

- (x) Exercise functional supervision over Institutions engaged in the imparting of training to all Civil Servants, for purposes of adherence to and achievements of annual capacity building plans; and the creation of an eco-system of shared learning resources including shared internal and external faculty.
  - (xi) Approve Knowledge Partners for the programme.
5. The Commission will be serviced by the Department of Personnel and Training.
6. The expenditure in respect of the Commission and its Secretariat will be debitable to the Budget Heads created for the National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB).

S. D. SHARMA, Jt. Secy.